।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेणू मीना, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत बख्तपुरा

राजस्व वाद नं०	तारीख रज्जू	तारीख निर्णय
2/102	20.11.2017	13.11.2021

01– खुशीराम पुत्र किशोरी जाति गुर्जर उम्र करीब साल काश्तकार ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर

–वादी

बनाम

01– माया देवी पत्नी कैलाश चन्द गुर्जर, जाति गुर्जर, काश्तकार ग्राम श्योदानपुरा, तहसील व जिला अलवर

02– संजय गांगल पुत्र डा० देशबन्धू गुप्ता, निवासी 14/34 चित्रकूट, मीना मार्ग, शहर अलवर तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

03– कमल पुत्र किशोरी जाति गुर्जर, काश्तकार ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर **–तरतीबी प्रतिवादी**

04– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर

05– उप पंजीयक, अलवर **–तकमीली प्रतिवादी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खाता नम्बर 10 आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.34 है० जिसमें किशन पुत्र गोकल का 31/34 हिस्सा है जिसको शुद्धि पत्र के द्वारा शुद्ध किया जाकर 11/68 हिस्सा अंकित किया है। सुरता देवी पत्नी सुखराम गुर्जर 3/34 हिस्सा दर हिस्सा 1/4, मायादेवी पत्नी कैलाश चन्द का

सहायक कलक्टर
अलवर

1/4 हिस्सा व कमल व वादी का 1/2 हिस्सा है। आराजी में से सुरता देवी का हिस्सा 3/34 के स्थान पर माया देवी का हिस्सा 3/34 दर्ज किया गया है। किशन का 11/68 हिस्सा व माया देवी का 1/4 हिस्सा संजय गांगल के नाम आ गया है व खाता नम्बर 47 आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.33 है०, 345 रकबा 0.23 है०, 346 रकबा 0.52 है०, 347 रकबा 0.69 है०, 348/420 रकबा 0.39 है० कुल किता 5 रकबा 2.16 है० जिसमें माया देवी का 1/4 हिस्सा, किशन पुत्र गोकुल का 1/4 हिस्सा व वादी व कमल का 1/2 हिस्सा है। किशन ने अपना 1/4 हिस्सा माया देवी को बेचान कर दिया है व माया देवी ने 1/3 हिस्सा संजय गांगल को फरोख्त कर दिया है। उक्त आराजीयात वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो कि वाद/प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है। आराजी मूतनाजा वादी एवं असल प्रतिवादीगण की अबट आराजी है। पक्षकारान आराजी पर सामलात में काबिज दाखिल है व सामलात में काश्त करते चले आ रहे है, जिससे वादी को आये साल काफी नुकसान पहुंच चुका है व आईन्दा और भी पहुँचने का अन्देशा है। आराजी मुतनाजा का कागजात माल में इन्द्राज शामलात में चला आ रहा है। असल प्रतिवादीगण प्रभावशाली व शक्तिशाली होने के कारण व लट्ठ का जोर होने के कारण आराजी मुतनाजा में वादी को पैदावार काश्त सम्बन्धी कुला कार्य करने में व जोतबाह करने में रूकावट व मजाहमत करते है जिसका उनको कोई हक हासिल नही है। वादी को जबरन बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करना चाहते है व आराजी मुतनाजा शक्ल तब्दील करना चाहते है, आराजी को अकृषि योग्य बनाना चाहते है बिला कन्वर्जन व बिना बटवारा कराये प्लाटस बनाकर दीगर शख्स को रहन बैय आदि करने पर उतारू हो रहे है। वादी के मना करने पर वादी को जान से खत्म करने की धमकी देते है। यदि प्रतिवादीगण ने वादी को आराजी मुतनाजा में पैदावार काश्त सम्बन्धी कुल कार्य करने में रूकावट व मजाहमत की व जबरन बेदखल कर के अपना नाजायज कब्जा कर लिया व कृषि भूमि को अकृषि भूमि बना दी व आराजी मुतनाजा को रहन बैय आदि करके प्रतिवादी संख्या–5 के यहां दस्तावेजात पंजीबद्ध करा लिये व प्रतिवादी संख्या–5 ने दस्तावेजात पंजीबद्ध कर दिये व निर्माण कर लिया तो वादी को ऐसा भारी नुकसान पहुंचेगा जिस नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी दीगर तरीके से पूरी नही हो सकेगी व दरमियान पक्षकारान

सहायक कलक्टर

और झगडे व मुकदमेबाजी बढ जाने का अन्देशा है। असल प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.11.2017 को धमकी दी है व आराजी मुतनाजा को तकसीम कराने से साफ इन्कार कर दिया जिससे मौजूदा दावा तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी ने असल अप्रार्थीगण को आराजी खाता नम्बर 10 आराजी खसरा नम्बर 343 रकबा 0.34 है० व खाता नम्बर 47 आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.33 है०, 345 रकबा 0.23 है०, 346 रकबा 0.52 है०, 347 रकबा 0.69 है०, 348/420 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम श्योदानपुरा को बिला तकसीम कराये दीगर शख्स के हक में रहन बैय नही करने, जबरन बेदखल करने अपना कब्जा नही करने, पैदावार काश्त सम्बन्धी कुल कार्य करने में रूकावट मजाहमत नही करने व कृषि भूमि को अकृषि भूमि न करने, निर्माण कार्य नही करने व बिला कन्वर्जन कराये आराजी मुतनाजा की प्लाटिंग नही करने तथा आराजी मुतनाजा के दस्तावेजात प्रतिवादी संख्या–5 से पंजीबद्ध नही कराने व प्रतिवादी संख्या–5 आराजी मुतनाजा के दस्तावेजात पंजीबद्ध नही करने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुल व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर खसरा नम्बर 343 रकबा 0.34 है०, 344 रकबा 0.33 है०, 345 रकबा 0.23 है०, 346 रकबा 0.52 है०, 347 रकबा 0.69 है०, 348/420 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर में मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति रखने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.11.2017 को अस्थाई निषेधा से पाबन्द किया गया।

अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अधिवक्ता उपस्थित आये। जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों क आधार पर खसरा नम्बर 343 रकबा 0.34 है०, 344 रकबा 0.33 है०, 345 रकबा 0.23 है०, 346 रकबा 0.52 है०, 347 रकबा 0.69 है०, 348/420 रकबा 0.39 है० वाके ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर को विवादित बनाया है, उक्त खसरा नम्बरान से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है ना ही प्रार्थी का कब्जा रहा है। आराजी मुतनाजा पूर्व से ही बटी हुई है। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी ने जब आराजी में से खरीद की थी उस

सहायक कलक्टर
अलवर

समय खसरा नम्बर 346 व 347 जिस पर पूर्व खातेदार कलावती का कब्जा था, से कब्जा प्राप्त किया था। खसरा नम्बर 343 किशन पुत्र गोकल का 31/34 दर 1/4 सुरता देवी पत्नी सुखराम का 3/34 दर हिस्सा 1/4 व माया देवी पत्नी कैलाश 1/4 व खुशीराम प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी कमल 1/2 दर्ज रिकॉर्ड था। जिसमें से किशन पुत्र गोकल व सुरता देवी पत्नी सुखराम का हिस्सा अप्रार्थी संख्या–1 ने खरीद कर दिया व 1/4 अप्रार्थी संख्या–1 का पूर्व में ही दर्ज रिकार्ड था। वक्त खरीद से ही किशनलाल व सुरता व माया देवी का 343 रकबा 0.34 है० समस्त पर कब्जा चला आ रहा था जिसमें से अप्रार्थी संख्या–2 ने 17 ऐयर आराजी खरीद कर ली तथा खसरा नम्बर 344 में से 8 ऐयर रकबे का अप्रार्थी संख्या–2 ने खरीद की हुई है जिसपर अप्रार्थी संख्या–2 ने चारदीवारी की हुई है। शेष रकबे पर अप्रार्थी संख्या–1 मायादेवी का कब्जा मौके पर चला आ रहा है। खसरा नम्बर 345, 348/420 पर अप्रार्थी संख्या–1 का अकेले का कब्जा चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 346 व 347 पर प्रार्थी व तकतीबी अप्रार्थी संख्या–3 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के मन में बदयान्ति आ गई है। राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी जिसे अप्रार्थीगण ने काफी लागत लगाकर इकसार किया व काबिल काश्त बनाया है हडप करने की गर्ज से झूठा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण प्लाट काट कर बेचान कर रहे है गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–1 के खसरा नम्बर 348/420 में बाजरे की फसल बोई हुई थी जबरन कब्जा करने की गर्ज से चोरी कर ले गये जिस पर प्रार्थी के खिलाफ एफआईआर थाना सदर में दर्ज कराई गई। प्रार्थी का चालान किया गया जो प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1 अलवर के यहां विचाराधीन है। जिस प्रकरण में सजा से बचने के कारण ये झूठा तकसीम का वाद न्यायालय में पेश किया है मनमाने तथ्ये अंकित किये है। अप्रार्थी ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा वादग्रस्त आराजी खरीद की है जिसका तकासमा पूर्व में ही हो चुका है। अप्रार्थी ने खरीदशुदा आराजी पर बॉउण्ड्रीवाल की हुई है। प्रार्थी सहकाश्तकार होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प बख्तपुरा में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना।

सहायक कलक्टर

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलत व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पायी जाती है।

प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 20.11.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर Confirm किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प बख्तपुरा में लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(रेणू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर